

7

बिहार सरकार
कृषि विभाग, बिहार, पटना

पत्रांक-NHM/BHDS/116/2020- 7//,
प्रेषक,

NHM/ पटना दिनांक 13/04/2020

डॉ० एन० सरवण कुमार, मा०प्र०से०
सचिव,
कृषि विभाग, बिहार।

सेवा में,

सभी, जिला पदाधिकारी, बिहार।
सभी, पुलिस अधीक्षक, बिहार।

विषय : पान की खेती एवं पान को बाजार में बिक्री हेतु कार्य को Lock Down से मुक्त करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सूचित करना है कि बिहार सरकार द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु लगाये गये प्रतिबंध के क्रम में कृषि कार्य को Lock Down से मुक्त रखा गया है। पान की खेती भी कृषि का हिस्सा है। पान की खेती करने में बरेजा बनाने हेतु उपयोग में आने वाली सामग्री यथा-बाँस, सुतली, खर इत्यादि प्रमुख है, जिसका दुलाई कृषकों द्वारा आवश्यकतानुसार किया जाता है।

अतः अनुरोध है कि पान की खेती हेतु बरेजा बनाने में उपयोग होने वाली सामग्री के आवागमन एवं पान बिक्री हेतु मंडी जाने वाले कृषकों पर रोक नहीं लगाने का निदेश दिया जाए, ताकि पान की खेती करने वाले कृषकों को किसी भी प्रकार कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े।

विश्वासभाजन

(डॉ० एन० सरवण कुमार)

सचिव,
कृषि विभाग, बिहार।

ज्ञापांक :- 7//,

प्रतिलिपि :- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी, पुलिस महानिरीक्षक/सभी, उप पुलिस महानिरीक्षक/सभी, जिला कृषि पदाधिकारी एवं सभी, सहायक निदेशक उद्यान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

NHM/ पटना दिनांक 13/04/2020

सचिव,

कृषि विभाग, बिहार।

ज्ञापांक :- 7//,

प्रतिलिपि :- पुलिस महानिदेशक, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

NHM/ पटना दिनांक 13/04/2020

सचिव,

कृषि विभाग, बिहार।